झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 23.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ0 नीरा यादव स0वि0स0 श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता स0वि0स0	"हिमोफीलिया और थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी एवं जन्मजात रोग है और राज्य में चार-पाँच हजार की जनसंख्या पर एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है। HSRC. राँची के द्वारा 750 हिमोफीलिया ग्रसित रोगी निबंधित है तथा वर्त्तमान में राज्य अन्तर्गत चार-पाँच हजार रोगियों की पहचान नहीं की जा सकी है। हिमोफीलिया एवं थैलेसीमिया मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के द्वारा भी प्रत्येक जिला अस्पताल में "डे केयर" सेन्टर खोले जाने की अनिवार्यता बतायी है, जिससे की एक ही स्थान पर जीवनरक्षक दवा फैक्टर, फिजियोथेरेपी और अन्य जाँच होगी तथा हिमोफीलिया/थैलेसीमिया मरीज को खुन भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। **कोडरमा,बोकारो एवं सरायकेला-खरसाँवा जिला सहित राज्य के अन्य जिला अस्पताल में "डे केयर" सेंटर स्थापित नहीं होने के कारण उक्त आनुवांशिक बीमारी से ग्रसित रोगियों के समुचित ईलाज में कठिनाईयाँ हो रही है।**	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करती हूँ कि उक्त वर्णित रोग से ग्रसित मरीजों को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने हेतु वर्णित जिला अस्पताल सहित पूरे राज्य में "डे केयर" सेंटर अविलम्ब स्थापित करायी जाय, जिस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते है।	
02-	श्री बैद्यनाथ राम स०वि०स०	लातेहार जिले के प्रखण्ड चन्दवा के पंचायत लाधूप, ग्राम सेन्हा में लघु सिंचाई विभाग के द्वारा लगभग दो करोड़ सत्तर लाख रू० की लागत से हेसला डैम एवं छलका का मरम्मति कार्य विगत दो वर्ष पहले से करायी जा रही थी। किन्तु मरम्मति का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं होने के कारण योजना का लाभ ग्रामीणों को प्राप्त नही हो पा रहा है। इस योजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है। प्राक्कलन के विचलन की पूरी संभावना है। लगभग एक करोड़ पचास लाख रू० की निकासी हो चुकी है। अतएव उपर्युक्त डैम एवं छलका का मरम्मति कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जाय, साथ ही उक्त योजना की जाँच कराते हुए संबंधित दोषी संवेदक एवं कार्यकारी ऐजेंसी पर कार्रवाई की जाय। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	जल संसाधन
03-	श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स०	पलामू जिलान्तर्गत पलामू अभियंत्रण महाविद्यालय भवन का निर्माण विगत चार माह पूर्व ही पूर्ण रूपेण तैयार हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक- 04.12.2020 को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जो भी अभियंत्रण महाविद्यालय तैयार है, उसे एक माह के अन्दर PPP Mode पर चलाने का ठोस प्रस्ताव देने का निर्देश दिये थे। जिसमें यह भी निदेशित था की अगर PPP Mode का प्रस्ताय प्राप्त नहीं होता है, तो अन्य विकल्प पर प्रस्ताव दें। ज्ञातव्य है कि दो माह	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ०पृ०उ०-

01.	02.	03.	04.
		बित जाने के बावजूद भी अबतक ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। विदित है कि झारखण्ड राज्य में एक ही सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय B.I.T. Sindri संचालित है। जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में सरकारी क्षेत्र में ही अभियंत्रण महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। अतएव पलामू अभियंत्रण महाविद्यालय को सरकारी क्षेत्र से ही संचालित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कर रहा हूँ।	
04-	श्री बिरंची नारायण स०वि०स०	पलामू व्याघ्र परियोजना अन्तर्गत उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों प्रमंडलों में एनटीसीए (नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी) के तहत् विगत 5 वर्षों में विकास मद एवं अनुदान मद में काफी खर्च हुआ है, जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त समेकित आवंटन एवं आवंटन के विरूद्ध बोजनावार खर्च की गई है साथ ही टाइगर फाउन्डेशन हेड के अन्तर्गत और केन्द्र सरकार तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि भी खर्च हुई है। इस संबंध में योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक- 596 दिनांक- 11.09.2019 के आलोक में स्पष्ट है कि पलामू व्याघ्र योजना उत्तरी प्रमंडल, मेदिनीनगर के लेखा में विशेष अंकेक्षण दल के द्वारा रूपये 18.93 करोड़ की गंभीर लेखा आपत्तियाँ दर्ज की गई है और राशि को वसूली योग्य बताया गया है और इस संबंध में कार्रवाई हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने श्री प्रियेश कुमार वर्मा, भा०प्र०से०, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को पलामू व्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमंडल, मेदिनीनगर, पलामू के लेखा (वर्ष 2017-18) पर आधारित विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या- 04/2019-20 का अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित करने के संबंध में भी लिखा है।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन

01.	02.	03.	04.
		इसी संदर्भ में श्री शांति प्रकाश खेस्स, सहायक वन संरक्षक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमंडल, मेदिनीनगर ने भी काफी विस्तृत रूप से 5 पेज में एक पत्र मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज को श्री संतोष कुमार, लेखा सहायक के नाम के साथ प्रेषित किया है। अतएव व्यापक जनहित में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूँ कि पलामू व्याघ्र परियोजना अंतर्गत उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों प्रमंडलों में एनसीसीए (नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथोरिटी) के तहत् विगत 5 वर्षों में विकास मद एवं अनुदान मद एवं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त समेकित आवंटन एवं आवंटन के विरूद्ध योजनावार खर्च की गई की जाँच करवाते हुए संबंधित दोषी पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करवाई जाय एवं उक्त सरकारी राशि जो वसूली योग्य है, को वसूला जाय और इस मामले में विशेष रूप से श्री संतोष कुमार, लेखा सहायक की भूमिका की भी जाँच करवाई जाय।	
05-	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्री सोनाराम सिंकु स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिलान्तर्गत पाकरटोंड में कॉसजोर जलाशय वर्ष 1990 में ही पूर्ण हो गया था जिससे करीब 3939 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परन्तु वर्त्तमान में उक्त जलाशय से सिंचाई हेतु पर्याप्त जल नही मिल पा रहा है। सनद रहे कि 30 वर्ष बीतने के बाद भी इस जलाशय का मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है। ज्ञात हो कि वर्त्तमान में सरकार द्वारा करीब 100 करोड़ की लागत से कंक्रीट नहर की मरम्मती एवं शाखा नहर का निर्माण किया जा रहा है, उस कार्य में बहुत सारी त्रुटियाँ उजागर हुई है। जैसे नहर का ऐलाईमेन्ट सही नहीं होना। इस जलाशय के नहर निर्माण कार्य में कहीं भी एक्सपेन्सन ज्वाईंट नहीं है। कई आवश्यक जगहों पर	जल संसाधन

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		प्रेशर भल्व भी नहीं दिया गया है जो दिया गया है वह भी गलत है। बैचिंग प्लान्ट का सीबीसी प्रिंटर मशीन को जानबूझकर खराब किया गया है ताकि मिलावट में गड़बड़ी का कोई प्रमाण न मिल सके नहर की मरम्मति कार्य चल रहा है जिसमें उपयोग हेतु बालू एवं चिप्स का अवैध तरीके से सप्लाई कर कार्य किया जा रहा अधिकतर मटेरियल का चालान रसीद नहीं है, इसकी भी जाँच की जाए। इससे सरकार के राजस्व की क्षति हो रही है। अतः वर्णित तथ्यों की अविलम्ब उच्चस्तरीय जाँच कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।	

राँची,
दिनांक- 23 मार्च, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-03/2021-1544/वि0 स0, राँची, दिनांक- 22/03/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंदी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-03/2021-1544/वि0 स0, राँची, दिनांक- 22/03/2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
22/03/2021

सुभाष/-